

फर्द अहकाम
(नियम 26)


अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

महेश्वरी नारायण बनाम वामन

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 198/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
09/05/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>महेश्वरी नारायण</u></p> <p>पिता श्री <u>नन्दराम जी तेली</u></p> <p>निवासी <u>शंभुपुरा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>सामरी</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>242 मी</u></p> <p><u>1379/242</u> <u>0.1000</u></p> <p>कुल कीता <u>02</u> कुल रकबा <u>0.5100</u> है 0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>सामरी (तहसील चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>242 मी</u> <u>1379/242</u></p> <p><u>0.1000</u> ' <u>0.1000</u></p> <p>कुल कीता <u>02</u> रकबा <u>0.5100</u> है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500/-</u> रुपये अक्षरे <u>फर्द हो रूप</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (वीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.) </p>